यौन हिंसा पर खामोश न रहें, वार करें

कमला भसीन

आप अपनी धुन में सड़क पर जा रही हैं, अचानक कोई मर्द सीटी बजा कर, या आंख मार कर आप को छेड़ता है, या कोई अशलील बात कह कर आपका अपमान कर देता है। कभी लड़कों का पूरा झुंड पास से निकलती हुई लड़की को छेड़खानी करने लगता है। भीड़ में औरतों या लड़कियों को नोचना, उनके शरीर को अपमानजनक तरीके से छूना भी आम बात है। इस तरह के अत्याचारों की हद है बलात्कार।

इन सभी अत्याचारों को यौन या 'सैक्स' हिंसा कहा जा सकता है। ये सभी छेड़खानियां और बलात्कार हम औरतों के यौन पर हिंसा हैं। यह हिंसा औरतों पर कहीं भी हो सकती है—घर से बाहर भी और घर के अंदर भी। अपने सगे-संबंधी भी (ससुर, देवर, जेठ, मामा, चाचा या अपना खुद का पिता) यह हिंसा कर सकते हैं और अनजान, पराये लोग भी।

यह हिंसा हर उम्र की औरत पर हो सकती है—चाहे वह दो-तीन साल की बच्ची हो या पचास-साठ साल की प्रौढ़। यानि हममें से हर औरत हर जगह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकती है। हमारे मन में यौन हिंसा का डर हमेशा रहता है।

दोहरी नैतिकता

इस हिंसा पर समाज का रवैया भी बहुत ही दोगला और अजीब है। जिसके साथ यौन हिंसा होती है उसे ही दोषी ठहराने की कोशिश की जाती है। जिस औरत का बलात्कार होता है उसके लिए कहते हैं कि उसकी "इज्जत" लुट गई। जब कि जो बलात्कार करता है उसकी "इज्जत लुटनी" चाहिए, उसकी "नाक कटनी" चाहिए, उसे "शर्म से डूब मरना" चाहिए। इस उल्टी नैतिकता पर सोचना ज़रूरी है। क्या यह बात अजीब नहीं है कि बलात्कार के डर की वजह से लड़कियों को क़ैद कर दिया जाए और बलात्कार करने वाले खुलेआम घूमें? चोर बाहर और साहूकार जेल में? यह तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हुई। इसे न नैतिकता कहा जा सकता है, न न्याय।

लड़कियों पर तमाम बंदिशें दोहरी नैतिकता की वजह से हैं। पुरुष कई संबंध रखे उसे माफ़ है। लड़की के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती भी हो तो उसी को दोषी ठहराया जाता है। कहते हैं मर्दों को तो सौ खून माफ़ हैं। इस दोहरी नैतिकता, इस तरह की सोच को बदले बिना लड़कियों की बंदिशें

खत्म नहीं होंगी। पढ़ने क्यों नहीं भेजते? लड़के छेड़ेंगे या अध्यापक फ़ायदा उठाएंगे। काम पर क्यों नहीं भेजते? कुछ हो गया तो नाक कट जाएगी। जल्दी शादी क्यों करते हो? लड़की को संभालना बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसलिए जिसकी अमानत है उसे माहवारी शुरू होने से पहले सौंप देना अच्छा है। हर सवाल का वही जवाब। हर बंदिश की वही वजह।

औरों का वहशीपन लड़कियों के लिये बंधन बन जाता है। लड़कियों को बांधने की जगह हम कुकर्म क्यों नहीं रोकते? हम उन्हें क्यों नहीं बांधते जो आक्रमण करते हैं? आखिर आक्रमणकारी हमारे ही घरों में तो पलते हैं।

इस सवाल पर हर पुरुष को भी सोचना होगा। क्या आक्रमण करना, अन्याय करना पौरुष है? क्या हिंसा करना इंसानियत है? क्या ज़ोर के बल पर जीना हैवानियत नहीं? क्या दोहरी नैतिकता ग़लत नहीं?

ख़ामोशी छोड़ें

इस सब पर सबसे ज़्यादा हम औरतों को खुद सोचना और समझना है। हम भी तो अधिकतर यौन हिंसा चुपचाप सह लेती हैं। हम भी तो ख़ामोश रह कर इस तरह की हिंसा को और बढ़ावा देती हैं। कई दफ़ा हम भी तो अपने आप को अपराधी समझने लगती हैं। कोई हमारे साथ छेड़खानी करता है तो हम सोचती हैं "शायद मुझ में ही कुछ होगा जो उसने मुझे छेड़ा"। इसी कारण हम किसी को कुछ नहीं कहतीं। जब हिंसा करने वाले सगे संबंधी होते हैं तो हम डर और बेबसी से अपराधी का नाम नहीं बता पातीं। इन्हीं

सब कारणों से अपराधी सरेआम घूमते हैं। इन अपराधों को और शह मिलती है। यौन हिंसा हमारे लिये बंधन बन गई है, हमारे पैरों की बेड़ी बन गई है। अंधेरा होने के बाद तो हम औरतें अपने घरों में क़ैद हो जाती हैं।

इन बंधनों, इस डर और बेबसी से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। यह तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा औरतें यौन हिंसा के बारे में बात करेंगी और इस हिंसा का मुकाबला करने के लिए अपने इरादे बुलंद करेंगी।

अभी तो हम यह भी नहीं जानते कि यौन हिंसा के ख़िलाफ कोई कानून भी हैं या नहीं। अगर हैं तो क्या हैं और उनका किस तरह प्रयोग किया जा सकता है।

सही जानकारी

अभी हाल ही में दिल्ली की दो महिलाओं ने—जिनके नाम हैं **जसजीत पुरेवाल और नैना कपूर**, यौन हिंसा के बारे में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी पुस्तक निकाली है। पुस्तक में यौन हिंसा और ख़ासतौर से बलात्कार का मुकाबला करने के लिए बहुत सारी जानकारियां

हैं। इस में बताया है कि कौन-कौन सी हरकतें क़ानूनी तौर से भी अपराध हैं। इन क़ानूनों की जानकारी दी गई है और यह भी समझाया गया है कि क़ानूनी कार्रवाई किस तरह की जानी चाहिए। हमारे हक़ क्या हैं। यह भी विस्तार से बताया है।

क़ानून के अलावा भी औरतें मिल कर यौन हिंसा का कैसे मुक़ाबला कर सकती हैं, इस पर भी इस पुस्तक में जानकारी दी गई है।

बच्चों पर होने वाली यौन हिंसा पर भी इस किताब में चर्चा की गई है। इस किताब को पढ़ने पर लगता है कि यौन हिंसा के खिलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और संभव भी। जो सुझाव दिए गए हैं वे हम सब कर सकते हैं। यह किताब बेबसी और डर को दूर करने में हमारी मदद कर सकती है।

इस किताब का नाम है "क्या आप पर काम-हिंसा हुई है?" इसे निम्न पते से मंगवाया जा सकता है।

जसजीत पुरेवाल/नैना कपूर
बी 5/197 सफ़दरजंग एन्कलेव
नई दिल्ली-110 029.

यौन हिंसा के बारे में सच्चाई क्या है और प्रचलित गलत धारणाएं क्या हैं, इसकी पूरी जानकारी इस किताब में है। इसी पर आधारित है अगला लेख। ◻

गलत धारणाएं छोड़ें सही धारणाएं अपनाएं

औरतों को शोषण से बचाने और उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए कई कानून हैं। लेकिन सिर्फ कानून बन जाने से न शोषण खत्म होता है, न बेहतर जीवन मिल पाता है। कानूनों को अमल में लाने के लिए उपयुक्त सामाजिक वातावरण जरूरी है, इंसानी सोच में बदलाव जरूरी है।

बलात्कार संबंधी कानून ही लें। इस कानून के तहत बलात्कारी को साबित करना होता है कि उसने बलात्कार नहीं किया। बलात्कार की शिकार औरत को कानून एकदम दोषी नहीं मानता। लेकिन समाजिक धारणाएं क्या हैं? क्या बलात्कार की शिकार लड़की और उसका परिवार आगे आकर दोषी पुरुष को सज़ा दिलवाने की कोशिश करते हैं? ज्यादा मामलों में नहीं। इसका मुख्य कारण है शर्म जो मौजूदा सामाजिक धारणाओं पर आधारित है।

गलत धारणाएं

काम हिंसा (बलात्कार) के बारे में कुछ गलत आम धारणाएं हैं—

● पुरुष औरतों पर काम-हिंसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छा पर काबू नहीं पा सकते।

● काम-हिंसा अंधेरी गलियों में अनजान लोगों द्वारा बिना सोचे-समझे की जाती है।
● भली लड़कियों पर काम-हिंसा नहीं होती।
● औरतें काम-हिंसा पसंद करती हैं। इसमें दोष उन्हीं का होता है।
● जब औरत 'न' कहती है तो उसका मतलब 'हां' होता है।

सही धारणाएं

● बलात्कार ज्यादातर सोच-समझ कर किया गया एक हमला होता है।
● काम-हिंसा द्वारा पुरुष औरतों को दबाना और बेइज़्ज़त करना चाहते हैं।
● काम-हिंसा घर की चारदीवारी में बड़ी संख्या में होती है। बच्चियों से लेकर बूढ़ियां तक काम-हिंसा का शिकार होती हैं।
● लड़कियों और औरतों के पहनने-ओढ़ने और साज-श्रृंगार को दोष न दें। यह बलात्कार का कारण नहीं होते।
● पति को पत्नी की 'न' का आदर करना चाहिए।
● बलात्कारी को समाज व कानून के सामने लाना जरूरी है। शर्म के कारण चुप न बैठें।

शर्म वह ताकत है जिसकी मदद से समाज औरतों को दबाने में सफल होता है। मर्दों को यह ताकत न दें। काम-हिंसा औरतों का अपमान है और इसका मुकाबला हमें पूरी ताकत लगाकर करना होगा।

अपनी सबसे बड़ी ताक़त हम खुद हैं। जिसके साथ काम-हिंसा हुई हो उसे सिर झुकाकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके प्रति एक अपराध हुआ है। उसके नज़दीकी रिश्तेदारों को उसे भावनात्मक सहारा देना चाहिए।

काम-हिंसा लड़की की असावधानी का नतीजा भी नहीं है। क्योंकि यह कभी भी कहीं भी हो सकती है। अन्य औरतों को उसके साथ अपने काम-हिंसा के अनुभवों को बांटना चाहिए। जिसके साथ काम-हिंसा हुई है उसे तो अपराधी किसी हालत में भी नहीं ठहराना चाहिए। इससे उलटे काम-हिंसा करने वाले अपराधी को शह मिलती है।

इस विषय में हमें सही धारणाएं अपनाना ज़रूरी है। किसी महिला के पति अथवा ससुराल वालों द्वारा गलत व्यवहार देखकर हमें चुप नहीं बैठना है। हर औरत पर किया गया हमला हमारे ऊपर भी हो सकता है। हमें गलत व्यवहार करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करना ही होगा।

"बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे
बोल ज़ुबां तेरी है
तेरा रुतवा जिस्म है तेरा
बोल कि जां अब तेरी है
ख़बरदार! क्योंकि वक्त बहुत नहीं थोड़ा है
बोल, जो कुछ कहना है कह ले।" —फैज़